मई 2023
वर्ष 37 संख्या 5
मूल्य 5 रुपये

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)
की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

विशाखापटनम मई 21, 2023

अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न : अखिल भारतीय आदिवासी मंच की स्थापना

– डॉ. वासवी किड़ो ने अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया।

– उन्होंने आदिवासी भाषाओं, संस्कृति के विकास को सुनिश्चित करने और जनजातीय इतिहास अकादमी बनाने के लिए एक नई जनजातीय नीति के गठन का आह्वान किया। आदिवासी संघर्षों में वामपंथी क्रांतिकारी आंदोलन के योगदान की सराहना की

– कन्वेंशन 'आदिवासी पहचान' और 'बिना विस्थापन के विकास' के लिए लड़ने के आह्वान के साथ समाप्त हुआ।

– आदिवासियों पर दमन, जबरन बेदखली, जबरन हिंदू धर्म में विलय और आरएसएस द्वारा सांप्रदायिक विभाजन की निंदा की गयी।

– सम्मेलन में अखिल भारतीय आदिवासी फोरम की 15 सदस्यीय कमेटी चुनी गई।

एक दिवसीय अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन की शुरुआत मुख्य अतिथि, प्रसिद्ध आदिवासी लेखिका और कार्यकर्ता, झारखंड की डॉ. वासवी किड़ो ने एक नई आदिवासी नीति तैयार करने के लिए लड़ने की अपील के साथ की, जो आदिवासी भाषाओं और संस्कृति के विकास को सुनिश्चित करेगी और एक आदिवासी इतिहास अकादमी का निर्माण कराएगी। उन्होंने पारंपरिक जनजातीय चिकित्सा, व्यंजनों और अन्य ज्ञान के पहलुओं पर प्रकाश डाला।

' 'सोनोट जूआर' ' – प्रकृति जिंदाबाद के साथ प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया।

'ऊटी अबुवा – यह जमीन हमारी है, बीर आबुवा – जंगल हमारे हैं और दिसुम आबुवा – देश हमारा है,' के जवाब में सभागार जोरदार तालियों के साथ 'जय जुहार' के नारों से गूंज उठा।

प्रतिनिधियों ने अपने भाषण में डा. किड़ो के उस वक्तव्य की सराहना की, जब उन्होंने जोर दिया था कि आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए संगठित लड़ाई लड़नी चाहिए और कई गैर आदिवासियों, जो आदिवासियों के सच्चे मित्र हैं, ने उनके संघर्ष में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने समझाया कि जहां आरएसएस के नेतृत्व वाली ताकतें आदिवासियों को विभाजित कर रही हैं और उनकी एकता में दरारें पैदा कर रही हैं, तो वह जानती हैं कि लाल सलाम की शपथ लेने वालों ने आदिवासी संघर्षों के लिए बहुत बलिदान दिया है।

अपने 42 मिनट के संबोधन में डॉ. किड़ो ने कहा कि दुनिया में 70 करोड़ से अधिक स्वदेशी लोग, यानी इंडीजिनस पीपल्स, हैं, जिनमें से 20 करोड़ भारत में रहते हैं। औपनिवेशिक शासन के 75 साल बाद भी उनकी स्वदेशी संस्कृतियों की उपेक्षा और दमन किया गया है। भारत में 750 से अधिक आदिवासी जनजातियाँ हैं जिनमें से 75 सबसे अधिक असुरक्षित हैं। उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बहुत गंभीर है।

उन्होंने कहा कि भारत में राज्य की आदिवासी नीति, 'जो 'विकास के नाम पर विस्थापन' पर आधारित है,' ने आदिवासियों को बहुत पीड़ित किया हुआ है। यह जंगलों और प्राकृतिक संपदा की लूट, भूमि अलगाव, प्रकृति का क्षरण, सरना जैसे उनके अपने धर्मों को पहचानने का विरोध और उन्हें जबरन हिंदू समाज में आत्मसात करने का प्रयास, उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को लागू करने में अरुचि इसका प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि भारत में विस्थापित हुए 10 करोड़ लोगों में से 80 फीसदी आदिवासी और स्वदेशी लोग हैं।

डॉ. किड़ो ने बताया कि आदिवासी लोग सरल और अज्ञानी होते हैं और वे अशिक्षा, पिछड़ेपन, कुपोषण और बीमारी से पीड़ित होते हैं, अगर सरकार चाहे तो इन सभी समस्याओं को आसानी से हल कर सकती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिलाएं एनीमिया और निरक्षरता से अधिक पीड़ित हैं।

आदिवासियों के संसाधनों को निगमों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देने की कांग्रेस शासन काल की पुरानी नीतियों का पालन करने के लिए वह भाजपा सरकार पर बरसीं। उन्होंने कहा कि वन आदिवासियों की संपत्ति हैं, केवल उन्हें ही इसका उपयोग करने या देने का मुख्य अधिकार होना चाहिए। विकास का मतलब यह होना चाहिए कि आदिवासियों का विकास हो न कि निगम अपने संसाधनों का विकास करें और उनसे कमाई करें।

उन्होंने यह कहकर अपना संबोधन समाप्त किया कि यह अच्छा है कि एक आदिवासी महिला को भारत का राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला है, पर वन अधिकार कानून अभी भी लागू नहीं हुए हैं और आदिवासियों पर दमन जारी है। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत सभी अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि कार्यान्वयन धीमा और कागज पर है।

स्वागत समिति के मानद अध्यक्ष, ईएएस सरमा, भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव, ने अपने वीडियो वक्तव्य में कहा कि सरकार आदिवासियों पर बुलडोजर चला रही है, उनके अधिकारों पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि यह अनिवार्य होना चाहिए कि उनसे संबंधित सभी मामलों में ग्राम सभाओं, जनजातीय परिषदों की अनुमति ली जाए। लेकिन यह सरकार इतनी जनविरोधी है कि यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से भी परामर्श नहीं करती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास आदिवासियों के पक्ष में और उनकी मदद करने वाले कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वे इस शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं।

स्वागत समिति के अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार रमनामूर्ति ने बताया कि कैसे लंबे समय से संघर्ष जारी है लेकिन इन मुद्दों पर लड़ने वाली सभी ताकतों को एकजुट करने में सक्षम होने में एक अंतर है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से केंद्र सरकार आदिवासियों की जमीन विशाल निगमों को देने के लिए सभी लोकतांत्रिक मानदंडों से इनकार कर रही है। उन्होंने आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे को उठाने और पूरे देश में आदिवासी

(शेष पृष्ठ 7 पर)

अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश) 21 मई 2023 : (बांयें) सम्मेलन के मंच का एक दृश्य – बायें से पहले तीन संयोजक मंडल के सदस्य तथा उनके बाद अतिथि गण (दायें) खचाखच भरे सम्मेलन कक्ष में प्रतिनिधियों को संबोधि करती हुईं मुख्य अतिथि डा. वासवी किड़ो

अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन की मुख्य अतिथि डाक्टर वासवी किरो के वक्तव्य के कुछ अंश

मैं ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने वाले बिरसा मुंडा, साली चांपी, रूनिया झुनाई, फोलू झानो, माकी और तमाम योद्धाओं की भूमि से आई हूं, जो आदिवासी क्षेत्र की भूमि और वन संसाधनों के लिए अंग्रेजो के खिलाफ लड़ते रहे।

.....

दुनिया में 70 करोड़ से अधिक आदिवासी समाज रहता है जिसमें से अधिकांश आबादी दक्षिण एशिया में रहती है। भारत में लगभग 20 करोड़ आदिवासी समुदाय रहते हैं। दुनिया भर में 7000 विभिन्न संस्कृतियों के आदिवासियों में से 705 जनजातिय समूह भारत में निवास करते है। इसमें 75 आदिम जनजातियां हैं, जो 705 आदिवासी जनजाति समुदायों का हिस्सा हैं। वह सबसे कमजोर और वास्तविक रूप से अत्यंत दयनीय स्थितियों में रहते हैं। उनके बारे में कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मनोविज्ञानिक, पर्यावरणविद, समाजशास्त्री, राजनेता और बुद्धिजीवी चर्चा करते रहे हैं। आदिम जनजाति समूह जो पहाड़ों गुफा और घने जंगलों में कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं।

.....

भारत की आजादी के बाद आदिवासी समुदायों को विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

विकास के लिए बड़े पैमाने पर विस्थापित किया गया; जंगल, और आदिवासी जमीन की लूट; जमीनों का हस्तांतरण; वनों की बड़े पैमाने पर कटाई; पांचवी और छठी अनुसूची का कार्यान्वयन; पेसा 1996 का कार्यान्वयन; अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 की मान्यता; अनड्रिप; एसडीजी; सरना धर्म की मान्यता; स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को मान्यता; क्षेत्र भूमि और संसाधन (जल, जैव विविधता); उचित मुआवजे के अधिकार का कार्यान्वयन और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास में पारदर्शिता, पुनर्वास अधिनियम 2013 (धारा 24.2); हिंदू धर्म के साथ आत्मसात और ट्राईबल / आदिवासी / स्वदेशी की राष्ट्रीय जनजाति नीति के तहत सूत्रीकरण की घोषणा।

भारत की आजादी के बाद देश से 10 करोड़ से अधिक लोग अपने मूल निवास स्थानों से उजाड़ दिए गए, जिसमें 80 प्रतिशत आदिवासी थे और अन्य 20 प्रतिशत में एससी, ओबीसी, मुस्लिम हैं।

.....

टीआरएफसीटीएलआरआरए 2013, पेसा पांचवा, छठा अनुच्छेद आदिवासी क्षेत्रों को बचाने के लिए था। आदिवासी समुदाय की लगभग 70: महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। वह कम पढ़ी–लिखी हैं और 50: साक्षरता दर भी उनमें नहीं है। उनमें मात्र 49.40: ही साक्षरता दर है। भारत में अनेक आदिवासी लेखक लिख रहे हैं। 90 आदिवासी भाषाएं हैं पर उनके लिए कोई आदिवासी भाषा और साहित्य अकादमी नहीं है। देश में जनजाति इतिहास के लेखन कार्य अभी भी अधूरा है, जिसे किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए जनजाति इतिहास अकादमी की स्थापना होनी चाहिए।

.....

केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार 30 नवंबर 2022 तक 2146782 व्यक्तिगत और 102889 समुदाय किताब बांटे गए। 89.10% दावों का निपटारा किया गया, लेकिन झारखंड और पूरे भारत में लाखों लाख दावे लंबित हैं या खारिज कर दिए गए हैं। भारत की राष्ट्रपति अब एक आदिवासी महिला हैं। आजादी के 75 वर्ष बाद जनजाति को यह अवसर मिला है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। जरूरत है राष्ट्रीय जनजाति नीति की घोषणा करने की, ताकि आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों को रोका जा सके। आदिवासियों पर अत्याचार अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में हुई हाल की घटनाएं इसका ज्वलंत उदाहरण हैं। इन सब सवालों को लेकर हमें देश में अगली बार और बड़ा सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनानी चाहिए।

अखिल भारतीय आदिवासी फोरम के घोषणापत्र से

यह व्यापक अवलोकन स्पष्ट करता है कि हमारे खिलाफ ताकतें साम्राज्यवादी और उनके संस्थान, उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, भारत के बड़े व्यापारिक घराने, जमींदार, व्यापारी, साहूकार, ठेकेदार, वन अधिकारी हैं; संक्षेप में, भारत की केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संरक्षित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिक्रियावादी। हालांकि शोषण के तरीके बदल रहे हैं, ये ताकतें हमारा शोषण और दमन कर रही हैं। ये वही ताकतें हैं जो भारतीय जनता की दुश्मन हैं और जिनके शासन को उखाड़ फेंकना होगा।

हम साम्राज्यवादी शोषण और अर्ध–सामंती उत्पीड़न के खिलाफ भारतीय जनता के आम संघर्ष का हिस्सा रहे हैं, यानी एक नए जनवादी भारत निर्माण के लिए संघर्ष के। कम्युनिस्टों के नेतृत्व में क्रांतिकारी संघर्षों में बड़े पैमाने पर हमारी भागीदारी से इन वीरतापूर्ण संघर्षों को आगे बढ़ाया गया। महान तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष एक प्रकाश स्तम्भ बना हुआ है। आदिवासियों ने ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में श्रीकाकुलम सशस्त्र संघर्ष, गोदावरी घाटी प्रतिरोध संघर्ष और क्रांतिकारी संघर्षों में भी बड़ी संख्या में भाग लिया।

हम आदिवासी भारतीय किसान वर्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं जो देश के क्रांतिकारी परिवर्तन की मुख्य शक्ति हैं। हम शोषण के खिलाफ सभी प्रमुख किसान संघर्षों का हिस्सा रहे हैं और हैं। जबरन भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के प्रलोभन दोनों को खारिज करते हुए जुझारू संघर्षों द्वारा 'नई' आर्थिक नीतियों के तहत जंगल और किसानों की जमीन हड़पने के नए अभियान को विफल करने के लिए हम संघर्षों में सबसे आगे रहे हैं। मुख्य रूप से मुंडा जनजातियों द्वारा झारखंड और ओडिषा के संबंधित क्षेत्रों में पत्थलगड़ी आंदोलन एक और ऐसी लड़ाई थी, इस बार उनकी भूमि पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ। तेलंगाना और अन्य क्षेत्रों में आदिवासी राज्य के दमन का सामना करते हुए अपनी पोडू भूमि को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल और महाराष्ट्र के आदिवासियों ने भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उत्तर पूर्व में आदिवासी अपनी आजीविका और अधिकारों को बचाने के लिए एक जटिल संघर्ष में लगे हुए हैं।

हमें और हमारे वैध संघर्षों को दबाने के लिए शासकों द्वारा निरंतर चाल चली जा रही है। देश के कई हिस्सों में हम ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे माओवादी विरोधी अभियानों के नाम पर निर्मम दमन के शिकार हैं। कारपोरेट समर्थक शासकों ने राज्य द्वारा की गई हिंसा को अंतर–आदिवासी विवादों के रूप में पेश करके, हम आदिवासियों को हमारे संसाधन संपन्न बस्तियों से जबरन विस्थापित करने के लिए, हम पर सशस्त्र हमलों के लिए कुछ आदिवासी नेताओं के वर्गों का उपयोग किया है, जैसा कि सलवा जुडुम के मामले में हुआ था। कारपोरेट की सेवा में विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, आदिवासियों पर अत्याचार और हत्याएं, हमें कुचलने के लिए यूएपीए का अंधाधुंध इस्तेमाल जारी है, यहां तक कि अन्य आपराधिक कानूनों का भी व्यापक रूप से हमारे खिलाफ उपयोग किया जाता है। इन सभी आक्रमणों का सीधा संबंध शासकों की प्राकृतिक संसाधनों को कारपोरेट को सौंपने की नीतिगत दिशा से है।

एक मंच का गठन

हम अपने विशाल समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच के रूप में एक साथ आ रहे हैं; हम भारत के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले सभी आदिवासी समुदायों को एकजुट कर रहे हैं; हम बेहतर जीवन के लिए हमारे प्रयास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, यहां तक कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी और हमारा शोषण और दमन करने वाली ताकतों के खिलाफ, संघर्ष कर रहे हैं। आइए हम अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए कार्रवाई के कार्यक्रम बनाएं और इस दिशा में आगे बढ़ने के इच्छुक और तैयार सभी ताकतों को एकजुट करें। हमें इन प्रयासों को उन ताकतों के साथ जोड़ना चाहिए जो लक्ष्य में समान हों और व्यवहार में पूरक हों।

फोरम लड़ेगा कि हमारे जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कारपोरेट को न सौंपे जाएं। हम विकास की उस धारणा का मुकाबला करेंगे जो हमें अपनी भूमि, जीवन और आजीविका से दूर करती है। आइए हम अपनी भूमि पर अपने अधिकारों की मान्यता के लिए और अपनी भूमि से बेदखली के खिलाफ संघर्ष करें। आइए हम जबरन विस्थापन के खिलाफ संघर्ष करें।

हम वनोपज पर अपने अधिकार और लाभकारी कीमतों पर इसकी गारंटीकृत बिक्री के लिए लड़ने के लिए एक साथ आए हैं। आइए हम लघु वन उपज के लिए एमएसपी और बिक्री सुनिश्चित करने के लिए गारंटीकृत राज्य खरीद व्यवस्था के लिए संघर्ष करें।

हम अपनी संस्कृति की रक्षा और अपनी भाषाओं को विकसित करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। हम अपने धर्म के पालन के अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे।

हम अपने क्षेत्रों की स्वायत्तता के लिए संघर्ष करेंगे। आइए हम सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सभी सरकारी कल्याण सेवाओं तक पहुंच के लिए, जो हमारी जरूरतों के लिए उन्मुख हैं, संघर्ष करें।

हम नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए लड़ेंगे।

हम एकजुट हैं और पुलिस और वन अधिकारियों के उत्पीड़न के खिलाफ, झूठे मामले दर्ज करने के खिलाफ, यूएपीए और अन्य काले कानूनों के खिलाफ, आदिवासी क्षेत्रों में पुलिस और अर्धसैनिक शिविरों के खिलाफ और सभी प्रकार के राज्य दमन के खिलाफ लड़ेंगें। हम अपने खिलाफ जमींदारों, ठेकेदारों और अन्य आदिवासी विरोधी तत्वों के हमलों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हैं।

आइए हम अपनी भूमि के अलगाव के खिलाफ और वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों को हासिल करने के लिए कानूनों के उचित कार्यान्वयन के लिए एकजुट हों और संघर्ष करें।

हमारा संघर्ष देश के मेहनतकश किसानों के विशाल संघर्षों का अविच्छेद्य अंग है। आदिवासी समाज की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस एकता को मूर्त रूप देने का मार्ग प्रशस्त करना इस मंच (अखिल भारतीय आदिवासी मंच) के कार्यों में से एक होगा। हमारे समान शत्रुओं को हराने और नए जनवादी परिवर्तन के लिए हमारे संघर्ष और वास्तव में पूरे किसान वर्ग के संघर्ष भारत के लोगों के संघर्षों के साथ अटूट रूप से जुड़े हुए हैं।

मणिपुर की वर्तमान स्थिति पर भाकपा (माले)- न्यू डेमोक्रेसी का बयान

भाकपा (माले)–न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय समिति मणिपुर में हो रही हिंसा पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों के मारे जाने, सैकड़ों के घायल होने, बड़ी संख्या में गांवों में तोड़फोड़ करने, संपत्ति को नष्ट करने और चर्चों पर हमला करने और जलाने की सूचना मिली है। केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत राज्य में सुरक्षा को अपने हाथों में ले लिया है। सेना को तैनात कर दिया गया है और देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं।

हिंसक घटनाओं का वर्तमान टकराव 19 अप्रैल, 2023 के उच्च न्यायालय के एक आदेश से संबंधित है जिसमें उसने राज्य सरकार को बहुसंख्यक मेइती समुदाय के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने का निर्देश जारी किया था। इसने बहुसंख्यक मैतेई और कुकी तथा नागा जनजातियों के बीच तनाव को बढ़ा दिया। 3 मई, 2023 को मणिपुर के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने मेइती को एसटी दर्जा दिए जाने का विरोध करते हुए एक बड़ी विरोध सभा का आयोजन किया। उस बैठक के बाद इंफाल घाटी और पहाड़ी इलाकों में भी हमले हुए। इम्फाल घाटी में आदिवासियों के घरों और संपत्ति पर हमला किया गया, कई लोगों के मारे जाने और एक आदिवासी विधायक सहित 23 के घायल होने की सूचना है। चूड़ाचंदपुर में मेइती लोगों पर हमला किया गया जिसमें दो व्यक्तियों के मारे जाने और कुछ घरों को जलाए जाने की खबर है। बड़ी संख्या में लोगों को आश्रय के लिए स्थापित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर किया गया है।

जबकि बहुसंख्यक और प्रभावशाली मेइती समुदाय और आदिवासियों के बीच विरोध लंबे समय से हैं, राज्य में शासन कर रहे आरएसएस–भाजपा द्वारा, जिसने इस क्षेत्र पर हावी होने के लिए मेइती को अपना आधार बना लिया है, इसे एक सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है,। वर्तमान हमलों में आरएसएस का हाथ स्पष्ट है क्योंकि बड़ी संख्या में चर्चों पर हमला किया गया है और रिपोर्टों के अनुसार मेइती समुदाय से संबंधित चर्चों को भी नहीं बख्शा गया है। आरएसएस–भाजपा इस विवाद को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। आरएसएस–भाजपा ने इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देखा है क्योंकि मेइती मुख्य रूप से हिंदू हैं, हालांकि उनमें से एक वर्ग अपने आदिवासी धर्म का पालन करता है, तथा कुछ मुसलमान भी हैं जबकि नागा और कुकी ईसाई हैं। इन समूहों के बीच लंबे समय से अंतर्विराधों के बावजूद, धार्मिक आधार पर कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं था। अब आरएसएस इन अंतर्विरोधों को सांप्रदायिक रंग देने का काम कर रहा है। वे उस खाके का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने असम में किया है, जहां उन्होंने उस राज्य में स्थिति को सांप्रदायिक बना दिया है और असमिया हिंदुओं के बीच एक आधार बनाया है। मौजूदा अंतर्विरोधों को उनके द्वारा सांप्रदायिक दिशा में निर्देशित किए जा रहा है और इस प्रक्रिया में उन्हें उत्तेजित करते हुए लोगों की क्षेत्रीय और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को कुन्द किया जा रहा है। इस क्रम में हिंदुत्व की आड़ लेकर तथा कॉरपोरेट और प्रतिक्रियावादियों की सेवा में आरएसएस–भाजपा के फासीवादी अभियान में सहयोग किया जा रहा है।

वर्तमान संघर्ष में और साथ–साथ लंबे समय से चल रहे संघर्ष के मूल में क्षेत्र की भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण का सवाल है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य के नाम पर आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने की कोशिशों के खिलाफ हाल ही में चूड़ाचंदपुर जिले में आंदोलन चल रहा था। सरकार का वन्य जीवन के लिए यह नया प्यार, आदिवासियों की भूमि को कॉरपोरेट को सौंपने का छलावा है और इन सभी परियोजनाओं में कॉरपोरेट पंजे देखे जा सकते हैं। वन्यजीवन अभयारण्यों के नाम पर आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को बेदखल करने के लिए कई राज्यों में इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। आदिवासियों ने मुख्यमंत्री के जिले के दौरे का विरोध किया था। सरकार द्वारा सर्वे कराए जाने से आदिवासियों का गुस्सा फूट पड़ा था।

मणिपुर में मेइती समुदाय संख्यात्मक रूप से बहुसंख्यक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली है। हालाँकि, यह ज्यादातर इंफाल घाटी के मैदानी इलाकों में केंद्रित है। मेइती आबादी का 53 फीसदी हैं। राज्य विधान सभा की दो तिहाई सीटें इंफाल घाटी के मेइती बहुल इलाके में हैं। राज्य तंत्र के विभिन्न अंगों में भी उनका दबदबा है। लेकिन यह मेइती बहुल क्षेत्र मणिपुर के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 10 फीसदी है। दूसरी ओर, आदिवासी समूह, ज्यादातर नागा और कुकी जनजाति के हैं, जनसंख्या का 35.4 फीसदी हिस्सा हैं, लेकिन मणिपुर के 90 फीसदी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। राज्य विधानसभा की केवल एक तिहाई सीटें (20) इस क्षेत्र में आती हैं। क्योंकि इंफाल राज्य का प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र है, वहीं पर कई आदिवासियों के घर और व्यवसाय हैं। एक ओर जनसंख्या और सत्ता और दूसरी ओर भूमि और संसाधनों में यह विसंगति वर्तमान संघर्ष की जड़ में है। मणिपुर के मेइती युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी है और लोकतांत्रिक ताकतों, जिसमें मेइती भी शामिल हैं, केंद्र सरकार द्वारा आफस्पा के उपयोग का विरोध करते रहे हैं।

इस क्षेत्र पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण का इतिहास आदिवासियों के प्रतिरोध से भरा है। देश के अन्य हिस्सों की तरह, आदिवासी ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ छेड़े गए सशस्त्र संघर्षों में सबसे आगे थे। ऐसा ही एक युद्ध एंग्लो कुकी युद्ध (1917 से 1919) था जिसे एंग्लो–कुकी युद्ध स्मारक गेट द्वारा स्मरण किया जाता है। 3 मई को कुछ बदमाशों ने इस गेट को तोड़ दिया, जिससे आदिवासी भड़क गए थे।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, कि वह मेइती लोगों के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करे, कथित रूप से 'पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और विरासत' की रक्षा करने की जरुरत पर आधारित है। राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से राज्य को नियंत्रित करने वाले मेइती के साथ, यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और विरासत के लिए यह खतरा कहां से उत्पन्न हुआ। मेइती भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची का हिस्सा है और मेइती के विभिन्न हिस्से ओबीसी, एससी के तहत आरक्षण के लिए पात्र हैं और बाकी ईबीसी श्रेणी में पात्र हैं। मेइती समुदाय की जनजातीय स्थिति का मामला मणिपुर के राजा के शासन के दौरान भारत में अपने विलय से पहले पर आधारित है। लेकिन तब भी अलग–अलग कानून थे जो उन मैदानी इलाकों को नियंत्रित करते थे, जहाँ मेइती रहते थे और पहाड़ियों के लिए, जहाँ मुख्य रूप से नागा और कुकी रहते थे। मेइती को पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी।

अन्य कारक जो भी हों, आदिवासियों के जंगलों में उनके पारंपरिक घरों के अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए। इन्हें कमजोर नहीं करना चाहिए। गैर–वन जनजातियों के लोगों को इन जनजातियों की भूमि खरीदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आदिवासियों के खिलाफ शासक वर्गों की साजिशों को देखते हुए, आदिवासियों और गैर–आदिवासी गरीबों के साथ–साथ, विभिन्न जनजातियों के बीच संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए, एक ही आदिवासी समूह में भूमि हस्तांतरण की अनुमति दी जानी चाहिए, न कि इन समूहों के बाहर वालों को। आदिवासियों की पहचान उनके निवास स्थान में निहित है, इसलिए उन्हें उनकी भूमि से अलग करने और उनके आवास को नष्ट करने या नष्ट करने के सभी प्रयासों का डटकर विरोध किया जाना चाहिए। मौजूदा आदिवासियों के लिए आगे के आरक्षण और अन्य सुरक्षा उपायों को किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

आदिवासियों की भूमि और आजीविका और पहचान को शासक वर्गों की योजनाओं से गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे आदिवासियों के निवास वाले क्षेत्रों की खनिज और वन संपदा का लालच करते हैं। आदिवासियों को कॉरपोरेट और गैर–आदिवासियों से अन्य अमीर वर्गों से भी खतरा है।

दरअसल पिछले काफी समय से कुकी समूहों तथा सरकार के बीच काफी विरोध बढ़ा है। इसकी जड़ में राज्य सरकार द्वारा अपने कदमों से कुकी तथा नागा आदिवासी क्षेत्रों के भीतर इन क्षेत्रों से बाहर के लोगों द्वारा जमीन लेना आसान बनाया गया है। इस तरह के कई प्रयास कानूनों तथा नियमों में परिवर्तन के जरिये किये गये हैं। ऐसे एक कानून के खिलाफ 2015 में व्यापक जुझारु आंदोलन हुआ था। उक्त आंदोलन में 9 लोगों की मौत हुई थी तथा आंदोलन काफी समय तक चला था। इस पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय के उक्त आदेश ने आग में घी डालने का काम किया तथा मौजूदा टकराव की तरफ ले गया।

शासक वर्ग आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि और पारंपरिक आवास से विस्थापित करने के लिए विकास का हौवा खड़ा करते हैं। उनके विकास की पोल खोलनी होगी और बिना विस्थापन के विकास की मांग उठानी होगी। आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है और उन्हें दूर करने के लिए संघर्ष किया जाना चाहिए। आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किए बिना सभी बुनियादी सुविधाएं और विकास के अवसर दिए जाने चाहिए।

आदिवासियों पर इन हमलों को आरएसएस–भाजपा सरकार की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए जो वन संरक्षण नियम, 2022 के माध्यम से आदिवासियों पर हमले, वन नीति में बदलाव और वन अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव के द्वारा किये जा रहे हैं। दूसरी ओर वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों का कार्यान्वयन बहुत खराब है और व्यवहार में इसके प्रावधानों का सम्मान नहीं किया जाता रहा है। मणिपुर में आदिवासियों के खिलाफ ये हमले आरएसएस–भाजपा सरकार के जन–विरोधी और आदिवासी विरोधी एजेंडे का हिस्सा हैं।

मौजूदा हिंसा को फौरन रोका जाना चाहिए विशेषकर आम लोगों के खिलाफ हिंसा को, सम्पत्ति नष्ट किये जाने को तथा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाये जाने को। जनवाद शक्तियों की इस मामले में पहल लेनी चाहिए अन्यथा स्थिति और बिगड़ेगी तथा समस्या का एक राज्य की परिधि में समाधान और मुश्किल होता जायेगा।

भाकपा (माले)–न्यू डेमोक्रेसी मणिपुर के आदिवासियों पर हमलों और आदिवासी विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली आरएसएस–भाजपा सरकार की कड़ी निंदा करती है।

भाकपा (माले)–न्यू डेमोक्रेसी की पुरजोर मांग है कि हर हालत में आदिवासियों के अपनी जमीन और आवास पर अधिकार को सुरक्षित रखा जाए और किसी भी नाम पर, किसी तरह से इसे कमजोर नहीं होने दिया जाए।

भाकपा (माले)–न्यू डेमोक्रेसी मणिपुर के विभिन्न समुदायों के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करती है। हम अपील करते हैं कि वे कॉर्पोरेट समर्थित हिंदुत्व शासकों के लोगों को विभाजित करने और उन्हें विस्थापित करने के बुरे मंसूबों को देखें। हम सभी समुदायों के लोगों से अपील करते हैं कि वे प्रतिक्रियावादी शासक वर्गों को लक्षित करते हुए शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष में एकजुट हों।

भाकपा (माले)– न्यू डेमोक्रेसी मांग करती है कि बदमाशों और बेगुनाहों पर हमला करने वालों को न्याय के कठघरे में खड़ा किया जाए और धार्मिक स्थलों सहित सभी संपत्तियों को हुए नुकसान का पूरा मुआवजा तुरंत दिया जाए।

भाकपा(माले)–न्यू डेमोक्रेसी मांग करती है कि मणिपुर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान किया जाए और पूरे राज्य से एएफएसपीए को वापस लिया जाए।

(भाकपा (माले)- न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय कमेटी द्वारा 5 मई 2023 को जारी बयान का अनुवाद। इस बयान के बाद के समय में भी क्षेत्र में हिंसा जारी है। सरकार द्वारा हिंसा को रोकने की बयानबाजी की जा रही है लेकिन सार्थक प्रयासों की कमी है।)

कारपोरेट लूट बढ़ाने के लिए बाघ के पगचिन्हों की आड़ में आदिवासी अधिकारों पर हमला

विदेशी तथा देसी कारपोरेट के लिए सस्ती प्राकृतिक

आशीष

भारत के मानव विकास और गरीबी सूचकांकों में नीचे खिसकने के बावजूद, भारत में वन्यजीव सफलता के बारे में व्यापक प्रचार चल रहा है। शिकारी पोशाक पहने, दूरबीन के साथ, प्रधानमंत्री खुद नामीबियाई चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ने का उद्घाटन करते नजर आए हो। यह अब एक बाघ अभयारण्य बन गया है। बाघ प्राधिकरण, एनटीसीए, ने घोषित किया है कि बाघों की आबादी 2018 में 2,967 से बढ़कर 3,167 हो गई है, 2 वर्षों में 6.5 फीसदी की वृद्धि हुई है। इससे पहले कि जोशीमठ ढह जाए और माँ रूपी 'प्रकृति' को सुरक्षित रखने के दावे भी ढह जाएं, मीडिया में भारत सरकार के वन संरक्षण और बाघ सुरक्षा के इन प्रयासों का शंख बजाया जा रहा है। कारपोरेट लालच अपने चरम पर है और पर्यटकों की उत्सुकता का लाभ उठाकर इस कोलाहल को बढ़ाया जा रहा है।

1973 में स्थापना के बाद से, बाघ परियोजना नौ बाघ अभयारण्यों में 18,278 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 53 अभयारण्यों में 75,796 वर्ग किलोमीटर तक फैल गई है। इसमें से 41,499.37 वर्ग किमी कोर एरिया है। यह भारत के 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर के भूमि क्षेत्र का 2.3 फीसदी है।

जनवरी 2023 के राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस के अनुसार, भारत में कुल 567 वन्यजीव अभयारण्य हो जो अब 122,564.86 वर्ग किमी के क्षेत्र में हो। 16,829 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 218 अभयारण्य और प्रस्तावित हो।

भारत सरकार ने सितंबर 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, एनटीसीए का गठन किया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान और एनटीसीए अब बाघों के पगचिन्ह और अन्य संकेतों के लिए क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहे हो ताकि उन्हें संरक्षित क्षेत्र और टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सके।

29 फरवरी, 2008 को वित्तमंत्री ने एक 'विशेष बाघ संरक्षण बल' एनटीपीएफ के गठन की घोषणा की और इसकी जरूरत को 'जैव विविधता संरक्षण' के तहत बाघ संरक्षण के साथ लपेट दिया। पर जहां भी बाघ संरक्षण क्षेत्र घोषित किये जा रहे हो, उनमें से कहीं भी प्रकृति संरक्षण पर चर्चा नहीं की जा रही है। एसटीपीएफ बाघों को शिकारियों से बचाने के लिए एक वैधानिक प्राधिकरण है। जाहिर है कि जंगलों में सदियों से रहने वाले आदिवासी महसूस करते हो कि एसटीपीएफ उन्हीं को बलपूर्वक उखाड़ फेंकने के लिए बनाई गयी है। शिकारी राजनेताओं और वन विभाग की मदद से बचने का प्रबंध कर लेते हो और दोष अक्सर आदिवासियों पर डाल कर उन्हें झूठा फंसाया जाता है।

इन नमूनों का आवलोकन करें :

1. 24 मार्च, 2023 को टाईगर प्राधिकरण ने दिबांग क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश) को टाइगर रिजर्व में बदलने की अधिसूचिना जारी की। स्थानीय इडु मिश्मी आदिवासी, मिश्मी जनजातियों का एक उप–समूह, जिसे यूनेस्को द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति माना गया है, ने कहा कि यह 'स्थानीय समुदायों के जीवन और आजीविका की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए'। यह बाघों को अपने पौराणिक बड़े भाइयों के रूप में मानते हो, पर इडु मिश्मी कल्चरल एंड लिटरेरी सोसाइटी ने घोषणा की कि विशेष बाघ संरक्षण बल की तैनाती से जंगलों तक उनकी पहुंच को काट दिया जाएगा। उनके अनुसार दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम का पालन किये बिना बनाया गया था। (इंडियन एक्सप्रेस, 'व्हाई टाइगर लविंग इडु मिश्मी', 10 अप्रैल, 2023)।

2. 2020 में रोहतास जिले के कैमूर में कैमरा ट्रैप के माध्यम से एक बड़े नर बाघ को देखा गया था। इस साल जनवरी में एनटीसीए ने इस क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित करने का फैसला किया। यह 1,342 वर्ग किमी का क्षेत्र है जो बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य बनेगा। यह मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ और पन्ना में अभयारण्यों से बाघों की आवाजाही से जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ और यूपी के सीमावर्ती क्षेत्रों में एक संभावित टाइगर कारिडोर बन जाएगा।

3. बुंदेलखंड क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार यह 530 वर्ग किमी में फैला है जिसमें 230 किमी कोर क्षेत्र है। यह पन्ना बाघ अभयारण्य से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बांधवगढ़ के करीब भी है। हालांकि यहां कोई टाईगर नहीं है, पर अक्सर पंजे के चिन्ह यहां देखे जाते हो।

4. नागरहोल आदिवासी जम्मापले हक्कू स्थापना समिति (एनएजेएचएसएस) द्वारा 'नागरहोल में अधिकारों के घोर उल्लंघन' की जांच में निम्नलिखित बातें कही गई हो। कर्नाटक में नागरहोल वन क्षेत्र में जेनु कुरुबाओं, बेटा कुरुबाओं, यारवों और अन्य वन–निवासी समुदायों का सामुदायिक स्वामित्व है। इसे पहली बार 1955 में एक वन्यजीव अभयारण्य और 2007 में एक स्वतंत्र महत्वपूर्ण बाघ आवास घोषित किया गया था। तब से ये समुदाय अपने जबरन बेदखली के खिलाफ लड़ रहे हो। लेकिन पिछले 30 वर्षों में उनके प्रतिरोध को वन विभाग और उसके सुरक्षा बलों, जैसे विशेष बाघ संरक्षण बल के हिंसक हमलों, फर्जी मुठभेड़ों, मौत की धमकियों, झूठे आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ा है। वन विभाग की फायरिंग में 8 से ज्यादा आदिवासियों की मौत हो चुकी है। इस समय वे 20 मार्च, 2023 से वन कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर हो। उनकी मांग हैं :

– बताया जाए कि नागरहोल को ग्राम सभाओं की सहमति लिए बिना और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करते हुए, उसकी धारा 38 वी के तहत 'टाइगर रिजर्व' कैसे घोषित किया गया।

– 'एनटीसीए व अन्य निकाय जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो, यह स्पष्टीकरण दें कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्षेत्र में वन अधिकार कानून 2006 की धारा 5ए के तहत, हमारी ग्राम सभाओं को वनों, वन्यजीवों और जैव विविधता की रक्षा, संरक्षण और प्रबंधन का जो वर्चस्व प्राप्त है, उसका उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। हमारे जंगलों और पवित्र उपवनों पर, जिसके साथ हम अपने पूर्वजों के समय से रह रहे हो और उसकी रक्षा कर रहे हो, वह अपने बाघों और अन्य संरक्षणों के माडल को क्यों थोप रहे हो।

– 'आदिवासी लोगों के मुक्त आवागमन और नागरहोल के अंदर जंगलों और जानवरों के साथ सहवास की कीमत पर इको–टूरिज्म परियोजनाओं और टाइगर सफारी के माध्यम से वनों और वन्य जीवन के अनादरपूर्ण संशोधन' पर तत्काल रोक लगे।

जनजातीय अधिकारों और स्थानीय लोगों के अधिकारों का उल्लंघन :

ये वन्य जीवन अभयारण्य और टाइगर रिजर्व इन क्षेत्रों के अंदर और आसपास रहने वाले आदिवासी और अन्य गैर–आदिवासी आबादी के अधिकारों को साफ–साफ नकार रहे हो। उनका प्रयास है कि बाघों की आबादी के विकास का ढोल पीटकर, स्थानीय आबादी की रक्षा के लिए विवेक, मानवता और विधायी प्रावधानों की आवाज को, जैसे वनाधिकार कानून 2006, अनुसूची 5 और 6, पेसा कानून, भूमि अधिग्रहण कानून 2013, एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम और अन्य को दबा दिया जाए।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

9 सितंबर, 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों व संबंधित तथ्यों की संक्षिप्त समीक्षा सहायक होगी :

यह कानून 'देश की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की सुरक्षा और उनसे जुड़े या सहायक या प्रासंगिक मामलों' के लिए है। 'संरक्षित क्षेत्र' एक राष्ट्रीय उद्यान, एक अभयारण्य, एक संरक्षण रिजर्व या सामुदायिक रिजर्व है; 'आरक्षित वन' 'भारतीय वन अधिनियम, 1927' या किसी अन्य राज्य अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा आरक्षित घोषित वन है; और अभयारण्य इस अधिनियम के अध्याय 4, धारा 38ट के तहत घोषित क्षेत्र है।

अधिनियम द्वारा वन्य जीवन के लिए गठित राष्ट्रीय बोर्ड प्रावधान करता है कि वह – 'वन्य जीवन और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देगा' और विशेष कारणों के अलावा, निर्दिष्ट जंगली जानवरों का शिकार निषिद्ध होगा।

इसमें धारा 18 के तहत सरकार किसी क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में गठित करने की घोषणा उपधारा– 2 (1) के तहत कर सकती है यदि 'वन्य जीवन या उसके पर्यावरण की रक्षा, प्रचार या विकास के उद्देश्य से, ऐसा क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव, पुष्प, भू–आकृति विज्ञान, प्राकृतिक या प्राणि संबंधी महत्व का है'। खेद की बात यह है कि जितने भी बाघ अभयारण्यों की अब तक घोषणा की गई है, उनमें केवल और केवल 'बाघ की उपस्थिति' की बात कही गयी है, वह भी ज्यादातर पंजे के निशान के आधार पर।

अधिनियम प्रभावित लोगों के अधिकारों के बारे में क्या कहता है ?

इस धारा 18 के उप खंड (2) में कहा है कि 'जब तक धारा 19 से 24 (दोनों सम्मिलित) के तहत प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों का अंतिम रूप से निपटान नहीं हो जाता है, तब तक राज्य सरकार ईंधन और चारा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था करेगी।

धारा 19 के तहत 'कलेक्टर, अभयारण्य की सीमाओं के भीतर शामिल भूमि में किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की मौजूदगी, प्रकृति और सीमा की जांच करेगा और निर्धारित करेगा'। धारा 21 के तहत 'कलेक्टर, 60 दिनों की अवधि के भीतर, क्षेत्र के हर कस्बे और गाँव में या उसके पड़ोस में क्षेत्रीय भाषा में' अधिसूचना 'प्रकाशित करेगा'; 2 महीने के भीतर दावे दायर किए जाएंगे; दावे की जांच की जाएगी; दावा किए गए क्षेत्र को धारा 24 के तहत बाहर रखा जा सकता है या भूमि अधिग्रहण कानून (अब एलएआरआर 2013) के अनुसार अधिग्रहित कर सकता है; और इसे 2 साल के अंदर पूरा करना होगा।

अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर चराई प्रतिबंधित है और प्रवेश पर और उन कार्यों पर प्रतिबंध हो जो नुकसान पहुंचा सकते हो।

अधिनियम 'संरक्षण रिजर्व प्रबंधन समितियों' में पंचायत प्रतिनिधियों को रखने का प्रावधान करता है।

टाइगर रिजर्व प्राधिकरण :

1976 में पारित 42वां संविधान संशोधन, वनों (17ए) और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण (17बी) को समवर्ती सूची (जैसा यह 1920 से पहले था) के तहत ले आया। इससे केंद्र सरकार को राज्य के कानूनों को दरकिनार करते हुए कानून बनाने में मदद मिली। इससे गैर–वानिकी प्रयोग के लिए राज्यों द्वारा वन भूमि देने को नियंत्रित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 बनाया गया।

अध्याय 4 बी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से संबंधित है। यह 2006 के संविधान संशोधन अधिनियम 39 द्वारा 01.04.2006 से सम्मिलित किया गया। 4 सितम्बर 2006 को धारा 38एल, टाईगर संरक्षण प्राधिकरण, एनटीसीए का गठन किया गया। इसके निर्धारित कार्य हो 'राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजना को अनुमोदित करना', 'राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों या बाघ अभयारण्य के बाहर वन क्षेत्रों में सह–अस्तित्व पर जोर देना' और 'यह सुनिश्चित करना कि बाघ रिजर्व और एक संरक्षित क्षेत्र या बाघ रिजर्व को दूसरे संरक्षित क्षेत्र या बाघ रिजर्व से जोड़ने वाले क्षेत्रों को, पारिस्थितिकी रूप से अस्थिर उपयोगों के लिए नहीं बदला जा सके।'

जाहिर है असली मकसद सतत टाइगर रिजर्व कारिडोर बनाना है, न कि केवल पृथक टाइगर रिजर्व। ऐसे कारिडोर एसटीपीएफ की सशस्त्र सुरक्षा के अधीन होंगे।

प्रभावित लोगों के अधिकारों पर टाइगर रिजर्व के प्रावधान :

धारा 38ओ (2) में विशेष रूप से रोक है कि 'बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ऐसा कोई निर्देश, जो स्थानीय लोगों विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों में हस्तक्षेप या प्रभावित करे'।

आगे की धारा 38 वी (3) में राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि '(बी) स्थानीय लोगों की आजीविका चिंताओं को दूर करने के लिए' बाघ रिजर्व, संरक्षित क्षेत्र या बाघ रिजर्व को दूसरे के साथ जोड़ने वाले क्षेत्रों में 'पारिस्थितिक रूप से संगत भूमि उपयोग' हो। उप खंड (4) में 'राज्य सरकार बाघ वाले जंगलों या बाघ अभयारण्य में रहने वाले लोगों की कृषि, आजीविका, विकास और अन्य हितों को सुनिश्चित' करेगी।

इसके अलावा, उपरोक्त की व्याख्या में उपधारा 4 (प) में कहा है कि 'क्षेत्रों को बाघ संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अनुल्लंघित रखा जाना आवश्यक है' परन्तु 'अनुसूचित जनजातियों या ऐसे अन्य वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना'।

और आगे (पप) में कि 'बफर या

संपदा की लूट को सुगम बनाने की मुहिम

परिधीय क्षेत्र' में 'कुछ हद तक आवास संरक्षण की आवश्यकता है' 'जिसका उद्देश्य वन्य जीवन और मानव गतिविधि के बीच सह–अस्तित्व को बढ़ावा देना है'। 'स्थानीय लोगों के आजीविका, विकासात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, जिसमें संबंधित ग्राम सभा और इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति के परामर्श से वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर ऐसे क्षेत्रों की सीमा निर्धारित' की जाएगी।

और उपखंड 5 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 'स्वैच्छिक पुनर्वास को छोड़करकृ किसी भी अनुसूचित जनजाति या अन्य वनवासियों को बाघ संरक्षण के लिए अक्षुण क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा या उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जाएगा जब तक कि – (प) की प्रक्रिया अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य वन निवासी व्यक्तियों के अधिकारों की मान्यता और निर्धारण और भूमि या वन अधिकारों का अधिग्रहण पूरा हो गया है। (पप) और (पपप) में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि मानव आवास की उपस्थिति के प्रभाव से बाघों के अस्तित्व को खतरा हो सकता है और सहवास का उचित विकल्प नहीं है, लेकिन वह भी 'वहां रहने वाले एसटी और ओटीएफडी की सहमति के साथ' किया जाना होगा। इसके अलावा, (पअ), (अ) और (अप) में कि 'ऐसे किसी भी पैकेज के लिए' 'जिसमें पुनर्स्थापन के प्रावधान हो' जब तक 'ग्राम सभाओं की सहमति नहीं' मिलती 'तब तक उनके अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है'।

तो, न केवल वन अधिकार अधिनियम में, बल्कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में भी पारंपरिक वन अधिकारों की गारंटी का प्रावधान है। लेकिन व्यवहार में, क्या हम 'स्थानीय लोगों की आजीविका, विकासात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की उचित मान्यता के साथ वन्य जीवन और मानव गतिविधि के बीच सह–अस्तित्व को बढ़ावा देने' या स्थानीय लोगों की आजीविका सुरक्षा के कोई संकेत देखते हो? हमें ऐसा नहीं दिखता।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वन्यजीव :

हमें विशेष रूप से पता होना चाहिए कि एफआरए की धारा 2 (डी) में कहा गया है कि वन भूमि का अर्थ है 'किसी भी वन क्षेत्र के भीतर आने वाली किसी भी विवरण की भूमि और इसमें अवर्गीकृत वन, अचिन्हित वन, मौजूदा या मानित वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन, अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क शामिल हो"। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा इस स्थिति को बरकरार रखा गया है।

वन उपयोग, 'संरक्षण' और नीति पर कुछ अनुभवों की समीक्षा

वनोपज के उपयोग और उसके संरक्षण के इतिहास की समीक्षा से पता चलता है कि सस्ते वन संसाधनों का पहले औपनिवेशिक शासकों द्वारा और फिर बड़े कारपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने मुनाफे के लिए शोषण किया गया है। वन संरक्षण और पारंपरिक समुदायों के अधिकारों के लिए केवल दिखावटी घोषणाएं की गयीं। उन्हें जीवित रहने का कोई वैकल्पिक साधन प्रदान किए बिना उनके पारंपरिक निवास से वंचित कर दिया गया। हमारे लिए प्रश्न यह है कि क्या वन में रहने वालों और वनों, दोनों की रक्षा की जा सकती है?

वन प्रबंधन में प्राथमिकता देने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानव सहवास विकसित करने की जरूरत है ताकि जैविक विविधता; वन्य जीवन; मृदा और जल संरक्षण को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके; उपयोगी लघु वन उपज की प्राप्ति के साथ–साथ जलवायु नियंत्रण उपाय अमल किये जा सकें; वन कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन का विकास किया जा सके। वनवासी प्रकृति के स्वाभाविक सुरक्षा कर्मचारी हो। उन्हें यह फायदा है कि वे इस क्षेत्र में पले–बड़े हुए हो और वनों के प्रबंधन के लिए पारंपरिक ज्ञान रखते हो। वे और केवल वे ही इस तरह के प्रबंधन में सहायक हो सकते हो। उनके खुद के जीवन का आधुनिक विकास ऐसे प्रबंधन का अभिन्न अंग होना चाहिए। आज एक ओर तो प्राकृतिक पर्यावरण गंभीर संकट में है और दूसरी ओर मूलनिवासी अत्यंत पिछड़ेपन में जीने को विवश हो और यह प्रधान रूप से संसाधनों के मुनाफाखोर दोहन के कारण है।

ब्रिटिश काल के दौरान, राज्य आरक्षित वनों से इमारती लकड़ी का उत्पादन प्रमुख लक्ष्य था। 1947 के बाद आर्थिक विकास की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए वानिकी विकास पर ध्यान दिया गया। 1952 की नई वन नीति ने स्थानीय जरूरतों की जगह राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी और उच्च मूल्य के वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1952, जिसने औपचारिक रूप से राजाओं और जमींदारों के संपत्ति अधिकारों को समाप्त कर दिया, रियासतों के अधीन जंगलों को राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया।

1976 तक राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट ने 'कम उपज और कम निवेश वानिकी' को बदलकर 'उच्च उपज वाले उच्च निवेश वानिकी' को बढ़ावा देने की सिफारिश की, फिर से वन उद्योगों की कच्ची सामग्री की जरूरतों को पूरा करने के लिए। वन विकास निगमों, संस्थागत वित्त, विभागीय पेड़ कटाई और उच्च मूल्य के औद्योगिक वृक्षारोपण में वृद्धि हुई। लेकिन न तो वनों में पेड़ों की कटाई बंद हुई और न ही उत्पादकता में वृद्धि हुई।

उपलब्ध सरकारी भूमि पर, ग्रामीण लोगों की ईंधन की जरूरतों के लिए बंजर भूमि पर, कुटीर उद्योग, ग्रामीण रोजगार, आदि हेतु वृक्षारोपण को बढ़ाने की नीति अपनाई गयी। ये तथाकथित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमशीलता के प्रयास पूरी तरह से विफल रहे। सामाजिक वानिकी के तहत 1980 और 1990 के दशक के दौरान लगभग 2.48 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया था। नेशनल फारेस्ट एक्शन प्रोग्राम, इंडिया (1999) की रिपोर्ट कहती है, 'इनका प्रदर्शन खराब रहा है'। 'अच्छी गुणवत्ता वाले औद्योगिक वृक्षारोपण' की तुलना में इस वन वृक्षारोपण की औसत वार्षिक वृद्धि खराब है।

इस प्रयास से भी प्राकृतिक वनों के पुनर्जनन को बढ़ावा देने से ध्यान हटा रहा, संगठित चोरी और अवैध कटाई जारी रही। जब 1975□2000 के दौरान स्टाकहोम सम्मेलन में वनों की पर्यावरणीय सुरक्षा में भूमिका पर चिंता जताई गई, तो इसने बाघों के विलुप्त होने के खतरे से निपटने का कार्यभार पेश किया और इस पर 1972 में एक राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

1988 में, एक नई वन नीति बनाई गई और 1993 में संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से वन संरक्षण में सार्वजनिक भागीदारी को सक्षम करने के लिए एक साहसिक पहल की गई। रिपोर्ट कहती है कि इससे बेहतर परिणाम मिले क्योंकि वन हानि में कमी आई। राज्य के वनों की सुरक्षा में ग्रामीण समुदायों और स्वयंसेवी एजेंसियों को शामिल करना, वन उपज पर समुदाय के उपयोग के अधिकार, इमारती लकड़ी की अंतिम फसल में हिस्सेदारी और जंगल के लिए सूक्ष्म योजनाएं बनाई गईं। इस प्रणाली को लोकप्रिय रूप से संयुक्त वन प्रबंधन (जेएफएम) कहा गया। 2000 के अंत तक, लगभग 36,130 वन संरक्षण समितियों ने कुल 1.025 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र का प्रबंधन किया।

पर हाल की उभरती हुई प्रवृत्ति, जंगलों के बाहर पेड़ उगाने की और गैर–इमारती वन उत्पादों, मूल रूप से वन भूमि से खनिज निकालने की है। यह 'टाइगर' का प्यार गैर–इमारती वन 'उपज' से मजबूती से जुड़ा हुआ है। इस नीति के अमल के लिए ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 ने गैर–वानिकी उपयोगों के लिए प्रतिपूरक वनीकरण की अवधारणा रख दी थी और 2015 में इसे कैम्पा कानून बनाकर प्रतिपूरक वनीकरण के लिए कानूनी आधार निर्धारित किया था। इस सबके बावजूद, यह अधिनियम, कैम्पा, वनीकरण के लिए न तो उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली भूमि की गारंटी देता है, न ही ऐसे वनीकरण के लिए भूमि की खरीद के लिए कोई धनराशि का प्रावधान कराता है। यह इस तथ्य को दरकिनार कर देता है कि वनों की कटाई दिनों में हो जाती है, जबकि वनीकरण करने में दशकों लग जाते हो। यह विशुद्ध रूप से सरकार को वन संपदा के नुकसान के नाम पर मौद्रिक मुआवजा प्राप्त करने के लिए एक मुद्रीकरण नीति है।

वन संरक्षण कानून 1980 में संशोधन करने के लिए अब एक नई योजना चल रही है, जिसके द्वारा वन प्रबंधन को मुख्य रूप से कार्बन इंडेक्स संतुलन के रखरखाव के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, यानी मुख्य रूप से अब वृक्षों के आवरण का कार्बन प्रदूषण को कम करने की क्षमता के लिए आंकलन किया जाएगा।

अपनाई गई रणनीतियों में से, गैर–इमारती वन उत्पाद और गिरिजन और ब्लाक स्तरीय सहकारी समितियों के माध्यम से विपणन ने सीमित सफलता हासिल की क्योंकि वे नौकरशाहों और राजनेताओं की लूट के शिकार बन गए और लोगों को सशक्त बनाने में विफल रहे।

संयुक्त वन प्रबंधन ने बेहतर सफलता की सूचना दी। हालाँकि, राष्ट्रीय किसान आयोग ने इसकी समीक्षा करते हुए कहा कि इसका 'शीर्ष नीचे है', यह एक 'कमांड और नियंत्रण माडल' है, जो 'लोगों को सशक्त नहीं करता'। उसने सिफारिश की कि संयुक्त वन प्रबंधन को 'अधिक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य आजीविका दृष्टिकोण के साथ नीचे–ऊपर की योजनाबद्ध और कार्यान्वयित करना चाहिए'। उसने लिखा कि 'समुदायों को विकास प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाना चाहिए और सहभागी और तकनीकी दृष्टिकोणों को एकीकृत करने की आवश्यकता है'; इसमें 'मूल्य संवर्धन और विपणन शामिल नहीं है', इसलिए अपेक्षित जीडीपी वृद्धि प्रभावित होती है; 'समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और विकास में लोगों की भलाई को बढ़ाने की बड़ी क्षमता है; इसलिए वनवासियों की आजीविका समर्थन प्रणाली को मजबूत करने के लिए वनों को स्थायी आधार पर अनलाक किया जाना चाहिए। अंत में यह कहा कि "जेएफएम को ज्यादातर वन विभाग के कार्यक्रम के रूप में माना जाता है जिसमें लोग भाग लेते हो। वास्तव में, यह एक जन कार्यक्रम होना चाहिए जिसकी सुविधा विभाग को देनी चाहिए। जेएफएम न केवल वह है जो विभाग लोगों को देता है बल्कि यह भी है कि समुदाय ने वनों के लिए क्या दिया है'। यह सिफारिश की गई थी कि 'समुदाय सभी नियोजन प्रक्रियाओं और सरकार के विस्तार और समर्थन सेवाओं के प्रदाता के रूप में एक केंद्रीय भूमिका ग्रहण करे'।

ये जंगलों, जैव विविधता, वनवासियों, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, मिट्टी और जल संरक्षण, जलवायु नियंत्रण और वन्य जीवन के सतत् विकास और वनवासियों के जीवन और आजीविका को सुरक्षित करने के लिए मूल्यवान सिफारिशें हो।

उपरोक्त अनुभवों में सभी तत्व हो कि वन प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए और वनवासी समुदायों को कैसे सशक्त बनाया जाना चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन संयुक्त वन प्रबंधन द्वारा, ग्राम सभाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण करते हुए, लघु वन उपज के विपणन के लिए सहकारी समितियों का गठन और कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और पशु के विकास के लिए सरकारी सहायता की उपरोक्त रणनीति के अनुरूप संभव है।

'संरक्षण और वन्यजीव प्रबंधन', संरक्षित क्षेत्रों से परे विस्तार, 'बाघ संरक्षण', जैविक विविधता, आदि, वास्तव में वनों से मानव आबादी को लक्षित करने और विस्थापित करने का एक बहाना हो। सुपर रिच की विलासिता की आकांक्षाएं और कार्पोरेट लालच ही इसकी असली प्रेरणा हो।

यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि सरकार को डालर की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है, व्यापार घाटा बढ़ रहा है, भारत सरकार के साथ–साथ भारतीय कारपोरेट बड़े निजी विदेशी ऋणों से परेशान हो, जिन्हें पूरा करने की आवश्यकता है। डालर में विदेशी निवेश आमंत्रित करने के लिए, देश की उन सम्पत्तियों को बेचने के लिए तैयार रहना होगा जो वे खरीदने को तैयार हो सकते हो। समय की बात है, खनन से लेकर ईको टूरिज्म तक, पानी और जलवायु प्रबंधन से जुड़े विशाल बुनियादी ढांचे, सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एफडीआई के लिए थाली में परोसे जाएंगे।

अंत में हम नागरहोल की जांच रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण उद्धरणों पर ध्यान दें:

"भारत की संरक्षण नीति ने लंबे समय से दो पक्षों के बीच यह सवाल खड़ा किया है – कौन पहले आता है – लोग या जानवर?'' भारत में अभिजात वर्ग द्वारा अपनाई जाने वाली संरक्षण नीति, वन्यजीवों की रक्षा का एक औपनिवेशिक माडल अमल करता रहा है, जो वनों की किलेबंदी करने की है, इन क्षेत्रों को अनुल्लंघनीय बनाने की है। इसे जोर–जबरदस्ती के साथ आदिवासियों, पशुपालकों, मछुआरों और अन्य वन–निवासी समुदायों को विस्थापित कर कारपोरेट लूट का शिकार बनाया जा रहा है। यह आधिपत्य वाला औपनिवेशिक

(आगे पृष्ठ 6 पर)

18 वर्ष पहले पानीपत में मजदूर आंदोलन के दौरान जी टी रोड़ जाम करने वाले उद्योगपतियों को क्लीन चिट देने का मामला

फाइल अनट्रेस्ड बताकर बंद किया गया केस फिर खुला

– पानीपत पुलिस ने अनट्रेस बता कर जो केस फाइल बंद कर दी थी, आरटीआई एक्टीविस्ट की शिकायत पर केस फिर खुला।

– कई उद्योगपतियों,एक्सपोर्टरों की हो सकती है गिरफ्तारी ।

पानीपत

करीब अठारह वर्ष पहले 12 नवंबर 2005 को पानीपत में बरसत रोड़ के सामने 4 घंटे तक जीटी रोड़ जाम करने वाले उद्योगपतियों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। उद्योगपतियों ने आंदोलनकारी श्रमिक नेताओं पर झूठे पुलिस केस बनाने के लिए 4 घंटे तक जीटी रोड़ जाम किया था और ये जाम तब खोला जब तक पुलिस ने मौका पर ही श्रमिक नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उद्योगपतियों को दी । तत्कालीन सिटी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह द्वारा जाम लगाने वाले उद्योगपतियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस ने फरवरी 2007 में इस केस को अनट्रेस बता कर केस फाइल बंद कर पल्ला झाड़ लिया। जबकि श्रमिक नेता एवम आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर को उद्योगपतियों के इशारे पर बनाए झूठे केस में सवा साल बाद गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया । वर्ष 2017 में उद्योगपतियों व पुलिस के इस गठजोड़ व गुंडागर्दी के खिलाफ कपूर ने जीटी रोड़ जाम करने की न्यूज क्लिपिंग (जिनमे फैक्ट्री मालिकों के चेहरे साफ पहचाने जा रहे थे) सहित शिकायत लोकायुक्त को कर के सभी दोषी फैक्ट्री मालिकों को अरेस्ट करवाने व इन्हें क्लीन चिट देने वाले सभी पुलिस जांच अधिकारियों को दंडित करने की मांग की। छह वर्ष तक चली लोकायुक्त जांच उपरांत ये केस अब दोबारा खुल गया है, हालांकि जांच के दौरान एसपी पानीपत ने लोकायुक्त को बार बार झूठी रिपोर्ट्स दे कर गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन मजबूत सबूतों सहित लंबी जद्दोजेहद के आगे पुलिस व उद्योगपतियों के गठजोड़ को घुटने टेकने पड़े। लोकायुक्त जांच के दौरान एसपी पानीपत ने अपनी जांच रिपोर्ट्स में पहले तो बताया कि फरवरी 2007 में केस को अनट्रेस पाते हुए कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया था। लोकायुक्त ने एसपी से कोर्ट द्वारा इस अनट्रेस रिपोर्ट को स्वीकार करने की कॉपी तलब की तो एसपी की हवाइयां उड़ गई। एसपी ने बताया कि कोर्ट में स्वीकार करने की रिपोर्ट नहीं मिली। फिर लोकायुक्त ने एसपी से इस अनट्रेस केस की पुलिस फाइल मांगी तो वो भी गुम होना बताई गई। इतना ही नहीं, एसपी ने ये भी बताया कि जिन पुलिसकर्मियों के पास ये केस फाइल आखिर में थी उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह पुलिस और उद्योगपतियों की मिलीभगत बेनकाब होने पर लोकायुक्त कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अपनी जून 2022 की जांच रिपोर्ट में इस कांड की जांच किसी वरिष्ठ आईपीएस के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित करके जांच कराने की सिफारिश लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा से की तो पानीपत पुलिस में हड़कंप मच गया। पिछले छः वर्षों से लोकायुक्त के सामने जिस केस को कोर्ट में अनट्रेस बताने व पुलिस फाइल गुम हो जाने का दावा पुलिस कर रही थी, वो सारा रिकॉर्ड रातों रात पाताल लोक से निकल कर बाहर आ गया। अब 17 फरवरी 2023 को पानीपत पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में इस केस की अनट्रेस रिपोर्ट पेश करते हुए इसे स्वीकार करने की मांग की तो सीजेएम संदीप चौहान की कोर्ट ने पुलिस की इस कहानी को स्वीकार न करते हुए एस.एच.ओ. पानीपत सिटी को मामले की संजीदगी से दोबारा जांच करके 29 मई तक जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश किए। सीजेएम चौहान ने पुलिस की कहानी पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि जब उद्योगपतियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है तो पुलिस रिपोर्ट अनट्रेस कैसे हो गई ? और जब आपने फरवरी 2007 में अनट्रेस रिपोर्ट बना दी थी तो आज इतने वर्षों के बाद कोर्ट में केसे सबमिट कर रहे हो? खैर, अब मजदूर नेता कपूर की 18 वर्ष की लंबी जद्दोजेहद के बाद केस दोबारा खुलने से आखिरकार रोड़ जाम के दोषी उद्योग पतियों की नींद हराम हो गई है, इन पर गिरफ्तारी के बादल मंडराने लगे हैं।

2005 : मटका चौक चंडीगढ़ में प्रदर्शन करते पानीपत के मजदूर

यह है मामला :

करीब 18 वर्ष पहले वर्ष 2005 में पानीपत में मजदूर संगठन इफ्टू के नेता पीपी कपूर की अगुआई में टैक्सटाईल बुनकरों, मजदूरों द्वारा बुनियादी श्रम कानून लागू कराने की मांग को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा था। इस दौरान फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों में भारी टकराव, धरने प्रदर्शन, हड़तालें, हिंसक घटनाएं चल रही थी। मजदूर संगठन इफ्टू नेता कॉमरेड पीपी कपूर जो कि फैक्ट्री मालिकों की आंख की किरकिरी बने हुए थे और सभी उद्योगपति उन्हें जेल में बंद करवा कर आंदोलन को कुचलने की नित नई साजिशें रच रहे थे। बुनकर मजदूरों के इस शांतिपूर्वक आंदोलन के विरुद्ध उद्योगपतियों की सभी यूनियनों ने खुद ही पूरे पानीपत के टैक्सटाईल उद्योगों में हड़ताल कर रखी थी, उद्योगपतियों की एक ही मांग थी कि पीपी कपूर को अरेस्ट करो, इसने सभी मजदूरों को भड़का दिया है। इसी दौरान 12 नवंबर 2005 को बरसत रोड़ पर एक फैक्ट्री में मालिकों और मजदूरों का मामूली सा झगड़ा हुआ तो फैक्ट्री मालिकों को मौका मिल गया। इस मामूली सी घटना की आड़ में पानीपत के सभी टेक्सटाइल फैक्ट्री मालिकों ने कॉमरेड पीपी कपूर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जीटी रोड़ पर चार घंटे तक जाम लगा कर दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रैफिक ठप्प कर दिया। कपूर व उनके साथियों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद ही उद्योगपतियों ने जाम खोला। तत्कालीन एसएचओ पानीपत सिटी लक्ष्मण सिंह ने कई फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ भी जीटी रोड़ जाम करने के जुर्म में नामजद केस दर्ज कर लिया। एक ओर जहां कपूर को करीब सवा साल बाद गिरफ्तार कर लिया, जिस कारण कपूर को करीब पौने दो साल जेल में रहना पड़ा। वहीं पुलिस ने जीटी रोड़ जाम के आरोपी सभी फैक्ट्री मालिकों को क्लीन चिट देते हुए केस को अनट्रेस बताते हुए फरवरी 2007 में बंद कर दिया। कपूर ने आरटीआई में सारा रिकॉर्ड निकलवा कर और घटना के वक्त की पुरानी अखबारों की न्यूज क्लिपिंग, फोटो लगाकर लोकायुक्त को अगस्त 2017 में शिकायत कर इन फैक्ट्री मालिकों व अनट्रेस रिपोर्ट देने वाले सभी पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की।

कारपोरेट के लिए प्राकृतिक सम्पदा

(पृष्ठ 5 का शेष)

माडल आदिवासियों और वन्यजीवों के लिए खतरा बन गया है, जबकि वन अधिकारियों और इकोटूरिस्ट अभिजात वर्ग के लोगों को वनों और वन्यजीवों का रक्षक बताया जा रहा है। इसने नये वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और बाघ अभयारण्यों सहित अधिक संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण को जन्म दिया है। वास्तव में, यह वैश्विक अभिजात वर्ग द्वारा विशेष आनंद और उपयोग के लिए इन विशाल पारिस्थितिक स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण करना है।

यह हजारों समुदायों के जीवन, आजीविका और जातीय–पारिस्थितिक जीवन जगत को नष्ट कर रहा है। अब इन क्षेत्रों को एकतरफा घोषित करने के लिए 'संरक्षित क्षेत्र' से परे, क्षेत्र का विस्तार आसपास बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार, सरकार का यह नव–औपनिवेशिक इरादा वनों में रहने वाले मूल निवासी समुदायों को और साथ–साथ वन, जैव विविधता और वन्य जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है।

कई उदाहरण हो जहां वन विभाग, वन्यजीव और वन संरक्षण लाबी (एनजीओ और नौकरशाही) के साथ उन परिवारों और समुदाय के नेताओं को परेशान करने में एक भयावह भूमिका निभा रहे हो, जो अपने समुदाय के विस्थापन के खिलाफ हो। कई नेताओं पर झूठे मुकदमे ठोके गए हो; कई की हत्या कर दी गई है और कुछ को वन विभाग और बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों ने इन पुनर्वास पैकेजों को स्वीकार करने के लिए प्रताड़ित और मजबूर किया है। अक्सर मुआवजे की राशि वन अधिकारियों और अन्य लोगों द्वारा लूट ली जाती है।"

सरकार द्वारा वनों, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु और प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए प्रेरित करने और घने वन आवरण के वास्तविक नुकसान को कम करने के लिए वन आवरण के आंकड़ों में हेरफेर किया जा रहा है, जो कि इस तरह की उपरोक्त सुरक्षा का मुख्य आधार है। अब यह जानना मुश्किल है भारत में वनों के नुकसान की वास्तविक सीमा क्या है। अचानक यह प्रचारित किया जा रहा है कि वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। वनों की परिभाषाओं में घातक परिवर्तन हुए हो जो प्रत्येक हेक्टेयर भूमि पर केवल 10 फीसदी आवरण से लेकर अब वृक्षों के आवरण की कार्बन अनुक्रमण तक हो।

हमें स्पष्ट माँगों करके अंत करना चाहिए :

1. सभी वन्यजीव अभयारण्यों से सभी विशेष बाघ सुरक्षा बलों को हटाया जाए।

2. वन से आदिवासियों और अन्य वनजीवी समुदायों को विस्थापित न किया जाए।

3. वन ग्राम सभाओं की लोकतांत्रिक और सशक्त भागीदारी के साथ एक वन प्रबंधन योजना बनाई जाए। इस तरह के प्रबंधन के माध्यम से सुरक्षित जैव विविधता, वन आवरण, जलवायु सुरक्षा, बाघ संरक्षण और सभी लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण किया जाए।

4. वनवासियों के लिए बुनियादी और पर्यावरण के अनुकूल नागरिक, शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे और सुविधाओं का विकास किया जाए।

संदर्भ :

1. भारत में वानिकी और भूमि उपयोग परिवर्तन की समीक्षा, 1901–2000 के.डी. सिंह।

2. एफआरए, 2006।

3. एफसीए 1980।

4. डब्ल्यूपीए 1972।

5. कैम्पा, 2016।

एआईकेएमएस द्वारा मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा आदिवासियों पर हमले की निंदा'

– मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदर्शनकारी आदिवासियों पर हमले की निंदा।'

– वन माफिया द्वारा काटे और बेचे गए पेड़ों का विवरण जारी करें।

– जेएडीएस नेताओं के खिलाफ मुकदमे वापस लें।

एआईकेएमएस की केंद्रीय कार्यकारी ने विरोध कर रहे बुरहानपुर के आदिवासियों पर वन माफिया की ओर से मध्य प्रदेश सरकार के हमले की कड़ी निंदा की है।

यह वन क्षेत्र मप्र के वन मंत्री के करीब का इलाका है। छह महीने से स्थानीय वन माफिया के एजेंट बुरहानपुर जिले में जंगल और सागौन के पेड़ों को काट रहे हैं. लगभग 15,000 एकड़ जंगल को अवैध रूप से साफ किया गया है।

जागृत आदिवासी दलित संगठन, जो एफआरए 2006 के तहत वन अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए आदिवासी संघर्ष में सबसे आगे रहा है, 6 महीने से पेड़ों की चल रही इस अवैध कटाई का विरोध करता रहा है और सरकार से जंगलों पर हो रहे इस हमले को रोकने की मांग कर रहा है। 6 महीने के लिए पुलिस अधीक्षक सहित स्थानीय अधिकारियों ने वनों की कटाई के स्थलों का दौरा किया और कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इस तरह उन्होंने पेड़ों की कटाई को प्रोत्साहित किया।

काफी विरोध के बाद आखिरकार जब एक आरोपी को पिछले महीने 6 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया तो वन माफिया ने थाने का घेराव कर उसे जबरदस्ती निकाल लिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने वकाडी और सिवाल गांवों में 1000 से अधिक घरों और संपत्ति को नष्ट कर दिया। सरकार द्वारा पेड़ काटने और लकड़ी की बिक्री को सहयोग देने की साजिश के विरोध में जेएडीएस ने 5 से 7 अप्रैल को 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया था।

30 अप्रैल 2023 को सरकार ने जेएडीएस नेता और सिवाल के ग्राम प्रधान, अंतरम अवसे को गिरफ्तार कर लिया और माधुरी कृष्णास्वामी को कई मामलों में नामित किया और जेएडीएस पर पेड़ों की कटाई प्रोत्साहित करने व कटाई करने का आरोप लगाया गया है। यह झूठा आरोप स्पष्ट रूप से नेताओं को बदनाम करने और अवैध वनों की कटाई को जारी रखने के लिए है जो न केवल अवैध है बल्कि आदिवासियों के अधिकारों और आजीविका पर भी हमला है।

एआईकेएमएस ने दर्ज एफआईआर को वापस लेने, कटे पेड़ों के गंतव्य की घोषणा करने और वनों की कटाई को तत्काल समाप्त करने की मांग की है।

एआईकेएमएस ने जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार को इस दमन के विरुद्ध ईमेल भेजकर विरोध दर्ज करने का आवाह्न किया है।

(एआईकेएमएस अध्यक्ष का. वी. वेंकटरमैया, महासचिव डॉ. आशीष मित्तल तथा सचिव का. भालचंद्र द्वारा 3 मई 2023 को जारी बयान)

नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान संघर्ष के 56 वर्ष पर देश भर में कार्यक्रम

महान नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह के प्रारंभ को इस वर्ष 56 साल हो गये हैं। हर साल 25 मई को नक्सलबाड़ी किसान सशस्त्र संघर्ष दिवस के रुप में याद किया जाता है। इस वर्ष भी देश भर में इस दिन कार्यक्रम किये गये।

ऊपर दिया गया फोटो सिलीगुड़ी के एक कार्यक्रम का है। इसे कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों के नेताओं ने संबोधित किया। इनमें सी.पी.आई. (एम–एल) – न्यू डेमोक्रेसी के पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी के सचिव का. सुशांत झा भी शामिल थे।

पश्चिम बंगाल के इस कार्यक्रम के साथ ही विभिन्न प्रांतों में कई केन्द्रों पर ऐसे कार्यक्रम किये गये। तंलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में अधिकांश जिलों में नक्सलबाड़ी दिवस पर कार्यक्रम किये गये।

पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए सभी पाठकों से अनुरोध

- *पत्रिका के लिए लेख व रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*
- *कृपया पत्रिका की प्रतियों की राशि समय पर पहुंचाएं।*

अखिल भारतीय आदिवासी मंच का स्थापना सम्मेलन

(पृष्ठ 1 का शेष)

आंदोलनों को एकजुट करने की कोशिश करने के लिए सम्मेलन की सराहना की।

अतिथि वक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता और आदिवासी मुद्दों के लेखक, पाला त्रिनाध राव ने अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा के बारे में विस्तार से बताया और यह कि कैसे सरकार निगमों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पक्ष लेने के लिए उन्हें कमजोर कर रही है। खनन, पुनर्वनीकरण, बाघ अभयारण्यों, पोलावरम और अन्य परियोजनाओं के लिए आदिवासियों की भूमि के हस्तांतरण और इस उद्देश्य के लिए कानून और नियमों में किए जा रहे परिवर्तनों द्वारा सरकार ने हमले तेज किये हैं। उन्होंने कहा कि एकताबद्ध दृढ़ संकल्प संघर्ष कानूनी रूप से भी अधिकारों का दावा करने में मदद करता है।

एआईकेएमएस अध्यक्ष का. वी वेंकटरमैया ने मंच से डॉ. वासवी किड़ो द्वारा लिखित पुस्तक ''भारत की क्रांतिकारी आदिवासी औरतें'' का विमोचन किया।

कॉमरेड वेंकटरमैया ने आदिवासी अधिकारों के लिए दृढ़ संघर्ष करने हेतु सभी आदिवासी समूहों की व्यापक संभव एकता बनाने की अपील की। उन्होंने शासक वर्गीय दलों की तीखी निंदा की, जो अलग–अलग पृष्ठभूमि वाले आदिवासी समूहों के बीच विभिन्न मतभेदों को बो रहे हैं और उनकी एकता को तोड़ने के लिए कलह को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के अधिकार को भी लागू नहीं किया जाता है और इसे आपसी विरोध का मुद्दा बना दिया जाता है। उन्होंने एक अखिल भारतीय आदिवासी मंच के गठन का आह्वान किया जो सभी संघर्षरत आदिवासी ताकतों को एकजुट कर सके और उनके मुद्दों को एक केंद्रित तरीके से मुखर बना सके।

उन्होंने सभी से एसकेएम के गठन और किसान विरोधी 3 काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष से सीख लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें मुद्दों के आधार पर संयुक्त संघर्षों का निर्माण करना चाहिए। श्रीकाकुलम जिले में गिरिजन संघम बनाने के पहले के अनुभव ने आंदोलन को सशस्त्र संघर्ष के मंच तक विकसित करने में सक्षम बनाया था।

अधिवेशन की शुरुआत सुबह 3 सदस्यीय प्रेसीडियम के चुनाव के साथ हुई – आंध्र प्रदेश से धर्मुला सुरेश, ओडिशा से केदार सबारा और तेलंगाना से मुक्ति सत्यम। शहीद संकल्प का वाचन राममोहन ने किया और सदन ने शहीदों की याद में एक मिनट का मौन रखा।

मुक्ति सत्यम ने अखिल भारतीय आदिवसी फोरम के गठन की अपील करने वाले मसौदे के आह्वान की व्याख्या की। सभी राज्यों से आये विभिन्न प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित किया गया और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन को बधाई देने वालों में एआईकेएमएस तेलंगाना के अध्यक्ष भिक्षपति, एआईकेएमकेएस के श्रीकांत मोहंती, तेलंगाना के रयतु समिति के अध्यक्ष जक्कला वेंकटैया, तमिलनाडु के चन्नापन, अखिल भारतीय जनजातीय कर्मचारियों के सत्यनारायण, आंध्र प्रदेश टीचर्स फेडरेशन के आर.जगनमोहन राव व डॉ. राम किशन शामिल थे। इसके अलावा श्री जॉन हाओकिप और मणिपुर के 2 अन्य प्रतिनिधियों भी शामिल थे।

राज्यों से आए विभिन्न प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे। सभी सकारात्मक सुझावों को शामिल करने के बाद संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए नारों के साथ आह्वान पारित किया गया।

अधिवेशन ने भूमि और आजीविका के लिए आदिवासियों के अधिकारों, "बिना विस्थापन के विकास" के अधिकार और "वनों और पर्यावरण को बचाने" के लिए लड़ने हेतु *अखिल भारतीय आदिवासी फोरम* बनाने के आह्वान को एक स्वर में स्वीकार कर लिया। इस बात पर जोर दिया कि इसी से जलवायु परिवर्तन और 'प्राकृतिक' आपदाओं को रोका जा सकता है।

अधिवेशन ने चार प्रस्ताव पारित किए:

1. मप्र के बुरहानपुर, छत्तीसगढ़ सहित भारत के अन्य हिस्सों में आदिवासियों पर दमन और दंडकारण्य में हवाई हमलों की निंदा की गयी।

2. महिला पहलवानों का समर्थन और भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की गयी।

3. मणिपुर में आरएसएस द्वारा प्रायोजित साम्प्रदायिक आगजनी और हिंसा की निंदा करते हुए मौजूदा आदिवासी समूहों के अधिकारों का उल्लंघन न करने की मांग की गयी।

4. आंध्र प्रदेश के वाकापल्ली में अर्धसैनिक बलों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की निंदा की गयी।

कन्वेंशन का समापन 10 राज्यों के 600 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ हुआ, जिन्होंने सर्वसम्मति से 15 सदस्यीय फोरम कमेटी के गठन को मंजूरी दी, जिसे फोरम के विस्तार और संघर्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसमें 4 संयोजक – तेलंगाना के मुक्ति सत्यम, ओडिशा के केदार साबर, झारखंड के रामसाई सोरेन और आंध्र प्रदेश के एक साथी शामिल हैं। सदस्यों में पश्चिम बंगाल से स्वपन हंसदा और सुशील लकरा, बिहार से धनंजय उरांव, यूपी से भीमलाल, दिल्ली से चंदन सोरेन, ओडिशा से कनिंद्र जालिका, तेलंगाना से सकरू और सुवर्णपाक नागेश्वर राव और आंध्र प्रदेश से मल्लेश और दुर्गा शामिल थे। ये सभी मंच पर मौजूद थे और उन्होंने सभा को संबोधित किया।

अरुणोदय कल्चरल फ्रंट के सदस्य निर्मला, दुर्गा, वेंकट लक्ष्मी, बाल नागम्मा, सुजाता, येरु कोंडलू ने अपने क्रांतिकारी गीतों और नृत्य प्रदर्शन से प्रतिनिधियों को प्रेरित किया।

(प्रैस बयान के जारीकर्ता : सम्मेलन के अध्यक्ष मंडल (प्रेसीडियम) के सदस्य मुक्ति सत्यम, केदार साबर तथा धर्मुला सुरेश)

महिला कुश्ती खिलाड़ियों का आंदोलन

बढ़ते जन समर्थन के बावजूद आर.एस.एस.–भाजपा सरकार की हठ

(महिला कुश्ती खिलाड़ियों के विरोध प्रदर्शन को एक माह से अधिक हो जाने के बावजूद अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है तथा आरोपी ब्रज भूषण सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। जब इतनी नामचीन खिलाड़ियों के मामले में शासन का यह रवैया है तो आसानी से समझा जा सकता है कि आम महिलाओं को यौन उत्पीड़न के मामलों को उठाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह व्यवस्था के पितृसत्तात्मक ढ़ांचे को दिखाता है जिसमें सत्ता से जुड़े यौन उत्पीड़न को उठाना कितना कठिन है। यहां खिलाड़ियों के आंदोलन के समर्थन में 4 मई 2023 को जारी बयान को प्रकाशित किया जा रहा है।)

जंतर–मंतर, संसद मार्ग पर पहलवानों के धरने के दस दिन पूरे होने पर कल (3 मई, 2023) रात में दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ मारपीट की। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (लोकसभा सांसद) पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए यह विरोध किया जा रहा है। आरएसएस–भाजपा सरकार द्वारा समर्थित, यूपी के बाहुबली बृजभूषण सिंह ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। आरएसएस–बीजेपी सरकार का समर्थन एकदम खुल्लमखुल्ला रहा है। दिल्ली पुलिस (केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रित) द्वारा एक प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई है और यहां तक कि जब उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई, तब भी बृजभूषण सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। यह देरी और भी निंदनीय है क्योंकि शिकायतकर्ताओं में से एक नाबालिग है। दिल्ली पुलिस ने इस तरह के जघन्य अपराध के आरोपियों को बचाने के दौरान पिछले दो दिनों से शहर में भारी बारिश के कारण रात के लिए खाट लाने के नाम पर पहलवानों की पिटाई कर दी।

पहलवानों के विरोध को लोगों के विभिन्न वर्गों से व्यापक समर्थन मिला है। विरोध का समर्थन करने के लिए इकट्ठा होने वाले लोगों की संख्या दिन–ब–दिन बढ़ती जा रही है और विभिन्न वर्गों के लोग विरोध के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं।

पहलवानों ने पहले भी इसी मुद्दे पर विरोध जताया था। उस समय उन्हें उम्मीद थी कि सरकार द्वारा गठित समिति न्याय दिलाएगी। उन्हें विरोध के मौजूदा दौर को अपनाने के लिए मजबूर किया गया है।

यौन अपराध के आरोपों में कार्रवाई के लिए पहलवानों के विरोध पर आरएसएस–भाजपा सरकार की प्रतिक्रिया महिलाओं के मुद्दों पर अपनी चिंता का असली चेहरा और उनके ''''बेटी बचाओ, बेटी पढाओ'' नारे का असली चेहरा दिखाती है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे महिलाओं और लड़कियों को शोषण की वस्तु मानते हैं और अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं देखते हैं।

यूपी के एक बाहुबली बृजभूषण सिंह को आरएसएस–बीजेपी द्वारा बचाए जाने से यह भी पता चला है कि यूपी में माफिया के खिलाफ उनका तथाकथित अभियान सांप्रदायिक रूप से नियोजित और राजनीति से प्रेरित है। आरएसएस–बीजेपी अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए बाहुबल पर एकाधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं जो चुनाव जीतने में बहुत महत्वपूर्ण है। आरएसएस–बीजेपी अपने बाहुबलियों के भरोसे है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करते। अन्य दो, मनी और मीडिया पर भी– मनी पर चुनावी बांड के माध्यम से एकाधिकार कर रहे हैं और मीडिया के बड़े हिस्से पर मित्रवत कॉरपोरेट द्वारा अधिग्रहण करा रहे हैं।

पहलवानों का विरोध कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के संबंध में दयनीय स्थिति को भी दर्शाता है। विशाखा फैसले के बावजूद, अधिकांश संस्थानों में शिकायत समितियां मौजूद नहीं हैं और ज्यादातर मामलों में जांच केवल औपचारिक होती हैं और शिकायतकर्ताओं की वास्तविक चिंताओं को शायद ही कभी संबोधित करती हैं। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश राजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत पर सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत ने यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए बेहद नकारात्मक संदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए इस जांच पर प्रगति की निगरानी भी करने और आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश भी देना चाहिए था।

इस विरोध के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया भी सत्ता के करीबी लोगों के प्रति घोर पक्षपात दिखाती है। जबकि कई बेगुनाहों को नियमित रूप से गिरफ्तार किया जाता है और बिना किसी आरोप के वर्षों तक जेल में रखा जाता है, भाजपा सांसद न केवल आजाद हैं बल्कि प्रदर्शनकारियों को हर तरह की धमकियाँ दे रहे हैं।

विरोध एक बार फिर अन्य सार्वजनिक संस्थानों के रूप में खेल के संचालन में संस्थागत ढांचे की लगभग नगण्य उपस्थिति को उजागर करता है, लेकिन खेल और खेल को नियंत्रित करने वाले विभिन्न निकायों में सत्ता में उन लोगों का पूर्ण और अनियंत्रित बोलबाला है। युवा लड़कियां और लड़के अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने और देश और समाज के लिए सम्मान हासिल करने के लिए अपने जीवन का कीमती हिस्सा समर्पित करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को सम्मान और मान्यता देने की आवश्यकता है लेकिन बृज भूषण यारण सिंह जैसे मगरमच्छ इन क्षेत्रों में शासन करते हैं और युवा लड़कियों का यौन शोषण किया जाता है। अगर वे विरोध करते हैं तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। उनकी प्रतिभा, क्षमता और जुनून को पहचानने के बजाय, उन्हें सिस्टम के लाभार्थियों के रूप में माना जाता है। सत्ता में बैठे लोग जो इन पहलवानों द्वारा जीते गए गौरव को हड़पने में देर नहीं करते हैं, उन्हें अपना शोषण जारी रखने और अपने विरोध को बदनाम करने में कोई गुरेज नहीं है।

यह विरोध हर संभव समर्थन का हकदार है। सभी प्रयास करें कि यह विरोध सफल हो। पहलवानों का यह विरोध यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्यस्थल सहित सभी जगहों पर महिलाओं की गरिमा और यौन उत्पीड़न मुक्त सार्वजनिक जीवन के लिए है।

सभी वर्गों के लोगों को विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और छात्रों को विरोध का समर्थन करने के लिए लामबंद किया जाना चाहिए। जंतर मंतर पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों में शामिल हों। विरोध के समर्थन में इस बड़े मुद्दे के पक्ष में जो यह विरोध उठा रहा है लोगों को लामबंद करने के लिए सभी क्षेत्रों में बैठकें करें।

23 मई को महिला कुश्ती खिलाड़ियों के आवाहन पर इंडिया गेट पर एक विशाल प्रदर्शन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह की फौरन गिरफ्तारी की मांग की।

जंतर मंतर पर महिला संगठनों में भाग लेते प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली के सदस्य। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। पी.ओ.डब्ल्यू.–प्रमस–स्त्री जागृति मंच तथा इफ्टू ने इस मांग पर प्रदर्शनों का आवाहन किया है। प्रयागराज में दो स्थानों पर, पंजाब में कई स्थानों पर, बिहार में सासाराम तथा मुजफ्फरपुर में, आंध्र प्रदेश मे विशाखापटनम, ऐलुरु, चित्तूर व विजयवाड़ा में तथा तेलंगाना मे हैदराबाद, खम्मम तथा अन्य स्थनों पर विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्ट है।

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar
Monthly
Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019

Hindi Organ of
CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा स्टार ऑफसेट, टी-2151/8-ए-2, न्यू पटेल नगर, नई दिल्ली–110008 से मुद्रित व बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली–110019 से प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार